

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-14102022-239643
SG-DL-E-14102022-239643

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 13, 2022/आश्विन 21, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 292
No. 456]	DELHI, THURSDAY, OCTOBER 13, 2022/ASVINA 21, 1944	[N. C. T. D. No. 292

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2022

No. F. 28/Addl.LC/Exemp./S&EACt/2021/5897.—दिल्ली दुकान एवं संस्थापन अधिनियम 1954 (1954 का दिल्ली अधिनियम 7) की धारा 4 के परन्तुक के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उक्त अधिनियम के संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्द्धन करता है।

उक्त अनुसूची में प्रतिष्ठान, इत्यादि शीर्षक में वर्तमान प्रविष्टि क्रम संख्या 273 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि 274 को जोड़ा जायेगा, नाम से :-

274	मसीमो दुत्ती इंडिया प्रा. लिमिटेड सिलेक्ट सिटी वॉक प्लॉट नं ए 3 और पी1 एटी साकेत नई दिल्ली-110017	अधिनियम की धारा-14 और 16 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन:- 1. किसी कर्मचारी को एक दिन में 9 घंटे (खाना व आराम के साथ) या एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने के लिये न रखा जायेगा और न अनुमति दी जायेगी। इसके अलावा कोई कर्मचारी एक बार में 5 घंटे से अधिक
-----	---	---

	काम पर नहीं लगाया जायेगा। दिल्ली दुकान एवं संस्थापन अधिनियम 1954 की धारा 8 के अंतर्गत समयोपरि मजदूरी का भुगतान कर्मचारियों को सामान्य दर से दूगने दर पर किया जायेगा। नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि बायोमेट्रिक मशीन के रिकार्ड्स दिल्ली दुकान एवं संस्थापन अधिनियम 1954 और दिल्ली दुकान एवं संस्थापन नियम 1954 के अंतर्गत इस तरह के रजिस्टर और रिकार्ड के संरक्षण के लिये कथित समय तक संरक्षित रहे। 2. यदि पारी में कार्य चलता हो, तो इस प्रकार से होगा कि किसी भी कर्मचारी को केवल रात्रि पारी में कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा। 3. नियोक्ता उन सभी कर्मचारियों की सुरक्षा और यातायात का उचित प्रबंध करेगा जिन्हें समयोपरि या दिल्ली दुकान एवं संस्थापन, 1954 के अंतर्गत विहित सामान्य कार्यावधि के बाहर पारी में काम करने को कहा गया है तथा नियोक्ता दुकान/संस्थान में वीडियोग्राफी के लिए सी.सी. टी.वी. स्थापित करेगा तथा उसे कम से कम 6 महीने के लिए संरक्षित रखेगा व मांगे जाने पर प्रमुख दुकान निरीक्षक के समक्ष पेश करेगा। 4. यदि किसी कर्मचारी से राष्ट्रीय अवकाश पर काम करवाया जाता है तो उसके लिए कर्मचारी को मुआवजा अवकाश व समयोपरि दोगुना वेतन का भुगतान किया जायेगा। 5. कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश बारी बारी से दिया जायेगा। 6. नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि श्रमिकों को विभिन्न श्रम कानूनों के तहत सभी कानूनी लाभ जैसे पी.एफ., ई. एस.आई., बोनस व छुट्टी प्रदान की जायेंगी। 7. कर्मचारियों को वेतन की अदायगी चैक या ई.सी.एस. के द्वारा की जायेगी। 8. इस छूट का किसी अन्य प्राधिकरण/विभाग/सरकारी एजेंसियों जिसमें पुलिस भी शामिल है द्वारा जारी किसी अधिसूचना/आदेश/सलाह/परिपत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 9. इस अधिसूचना की प्रतिलिपि प्रतिष्ठान के कर्मचारी प्रवेश द्वार पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।
--	---

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
एस. सी. यादव, अतिरिक्त सचिव (श्रम)

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 12th October, 2022

No. F. 28/Addl.LC/Exemp./S&EAct/2021/5897.— In exercise of powers conferred by the proviso to Section 4 of the Delhi Shops and Establishments Act, 1954 (Delhi Act 7 of 1954), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following addition in the Schedule-1, appended to the said Act.

In the said Schedule under "Establishment etc." after the existing entry at serial no. 273 the following entry 274 shall be added, namely:—

Sl. No.	Name of establishment	Address of establishment	
1	Massimo Dutti India Pvt. Ltd.	Select city walk Plot no. A3 and P1-B, At Saket, Delhi-17	From Section 14 and 16 of the Act, subject to the following conditions:- (i) No employee shall be employed or allowed to work for more than nine hours (including that of meal and rest) on any day and for not more than forty Eight hours a week. Further, no employee shall be allowed to work for more than five hours at a stretch. Overtime wages shall be paid to eligible employees at double the normal rate as provided under section 8 of the Delhi Shops and Establishment Act, 1954. The employer shall ensure that the records of the Biometric machine if maintained shall be preserved for the duration mentioned for the similar register/record, in Delhi Shops and Establishment Act, 1954 and Rules made there under. (ii) Shift working, if any, shall be in such a way that no employee is forced to work in night shift only. (iii) Employer shall make suitable arrangement regarding safety, security and transportation of all the employees, who have been asked to work overtime or in the shift beyond the normal working hours as prescribed in the Delhi Shops and Establishments Act, 1954. Further the employer shall install Closed Circuit Television (CCTV) for videography of the establishment and preserve the same for not less than a period of six months and submit the same on demand from the Chief Inspector of Shops. (iv) Employees working on national holidays shall be given compensatory leave in lieu thereof, and double rate of wages as overtime. (v) Weekly off day will be allowed to employees in rotation. (vi) The employer shall ensure that the workers are provided all the legal benefits under various labour laws like Minimum Wages, Provident Fund (PF), Employees' State Insurance (ESI), Bonus, Leave facility and the same be put on website of the shop/ establishment. (vii) Payment of wages of employees shall be made by cheque/Electronic Clearing Service (ECS).

	(viii) This grant of exemption shall have no overriding effect on any notification/ order/advisory/circular/ issued by any other Authority/ Department/ Government Agencies Including Police. (ix) A copy of this notification shall be prominently displayed at the employee's entrance/exit of the establishment.
--	---

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
S. C. YADAV, Addl. Secy. (Labour)